अतिआवश्यक
महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 10778 / प्र.अ. / विधि / लो.स्वा.यां.वि. / 2024 भोपाल, दिनांक 22/11/2024

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   परिक्षेत्र भोपाल / (वि. / यां.) भोपाल /
   इंदौर / जबलपुर / ग्वालियर
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   मंडल.....
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   खंड.....

विषयः—दैनिक वेतन भोगी सेवा अवधि की स्थाई वर्गीकरण अदेशानुसार एरियर राशि की पात्रता संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय तक चुनौती देने के उपरांत ही भुगतान करने की नीति अपनाने विषयक।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र कमांक 13300 / प्र.अ. / विधि / लो.स्वा.यां.वि. / 2023 भोपाल, दिनांक 27.09.2023, पत्र कमांक 3173 / प्र.अ. / विधि / लो.स्वा.यां. / भोपाल दिनांक 02.04.2024 एवं पत्र कमांक 4641 / प्र.अ. / विधि / लो.स्वा.यां. / भोपाल दिनांक 21.05.2024

00

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी वर्गीकरण के दिनांक से वर्तमान समय तक की अथवा विनियमितीकरण योजना दिनांक 01.10.2016 तक की सम्पूर्ण एरियर राशि प्रदान करने के आदेशों के विरूद्ध तत्काल रिव्यू पिटीशन दायर कर एरियर राशि को रिट याचिका दायर करने के दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक ही सीमित करवाने का प्रयास करें। इस संबंध में आपको विभागीय बेवसाइट पर ''विधिक मार्गदर्शन'' शीर्षक के अंतर्गत रिव्यू पिटीशन का ड्राफ्ट की उपलब्ध कराया गया है। आपके सूचनार्थ है कि विभाग को इस प्रकृति के कुछ प्रकरणों में सफलता भी प्राप्त हुई है।

इस कार्यालय के समक्ष अभी भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की एरियर राशि के ऐसे न्यायालयीन प्रकरण आ रहे हैं जिनमें अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा बाध्यकारी आदेशों को विभाग के पास उपलब्ध माननीय उच्चतम न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर चुनौती नहीं दी गयी है तथा अवमानना प्रकरण के माध्यम से बाध्यकारी स्थिति का निर्माण कर संपूर्ण एरियर राशि अथवा रिट याचिका दायर करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व तक के स्थान पर काफी पूर्व के वर्षों की एरियर राशि के भुगतान के प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में विभागीय स्तर पर न्यायालयीन प्रकरणों को समाप्त कराने का प्रयास पूर्णतः विफल होता नजर आ रहा है।

आपको पुनः स्मरण कराया जाता है कि यह एक स्थापित विधि है कि वेतन एरियर राशि के दावे जिनकी अवधि रिट याचिका दायर करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व की है, को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मान्य नहीं किया जाना चाहिये। इस संबंध में विभाग के पास निम्नलिखित न्यायालयीन निर्णय एवं उनमें निहित सार उपलब्ध हैं :–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''एम.आर.गुप्ता बनाम भारत संघ {(1995) 5 SCC 628}, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 5151-5152 /2008 ''भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह'' में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2008 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 4349 /20232, ''धरम पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एव अन्य'' में पारित निर्णय दिनांक 11 जुलाई 2023, सिविल अपील क्रमांक 4134 /2022 ''रूसीभाई जगदीशचंद्र पाठक बनाम भावनगर म्युनिसपल कारपोरेशन'' में पारित निर्णय दिनांक 18 मई 2022, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 10251 /2014 ''असगर इब्राहिम अमीन बनाम जीवन बीमा निगम'' में पारित निर्णय दिनांक 12 अक्टूबर 2015 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 3156 /2007 'मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य बनाम योगेन्द्र श्रीवास्तव'' में पारित निर्णय दिनांक 07 अक्टूबर 2009 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण वेतन के प्रकरणों में कॉज ऑफ एक्शन सेवा में रहने के दौरान कभी भी उत्पन्न हो सकता है तथा यदि दावा मेरिट के आधार पर सही पाया जाता है तो तत्समय के वेतन का समय–समय पर संशोधित रूप में काल्पनिक निर्धारण किया जाएगा तथा पूर्व के वेतन एरियर के भुगतान के मामले में लिमिटेशन का प्रश्न उत्पन्न होगा तथा लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार एरियर राशि की पात्रता अवधि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व तक की अभिनिर्धारित की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8014/2022 (सुरेश कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11अप्रैल 2022, रिट पिटीशन क्रमांक 13892/2022 में पारित निर्णय दिनांक 24 जून 2022 (ह्रदय राम यादव एवं अन्य बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) एवं रिट पिटीशन क्रमांक 4802/2023 (श्रीनिवास मिश्रा बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 01 मार्च 2023, रिट पिटीशन क्र 11036/2021 (नारायण प्रसाद पांडेय विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 16 जुलाई 2021, रिट अपील क्र 808/2021 (नारायण प्रसाद पांडेय विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 16 सितम्बर 2021, रिव्यु पिटीशन क्र. 343/2024 (म. प्र शासन एवं अन्य विरुद्ध गंगा प्रसाद दुबे) में पारित निर्णय दिनांक 15 अप्रैल 2024, रिट पिटीशन क्र. 660/2021 (मुल्लूराम प्रजापति विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 06 मई 2022, रिट पिटीशन क्र. 10365/2013 (रामेश्वर प्रसाद प्यासी विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 21 फरवरी 2023, पिटीशन क्र. 20847/2018 (हरिलाल सेन विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10 अगस्त 2021 एवं रिट पिटीशन क्रमांक 17459/2023 (चंद शेखर चौरे बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय

दिनांक 24 जुलाई 2023 में लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार एरियर्स राशि की पात्रता अवधि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व तक की अभिनिर्धारित की गई है।

पूर्व में संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था कि ऐसे निर्णयों को तत्काल ही, विभाग के पास उपलब्ध निर्णयों के आधार पर रिव्यू पिटीशन दायर कर, संशोधित करवाने का प्रयास करें। चूकि विभाग के पास इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के अनेको न्याय दृष्टांत उपलब्ध है, इसलिये यदि ऐसे प्रकरणों में रिव्यु पिटीशन दायर करने से सफलता नहीं मिलती है तो आगे रिट अपील/रिव्यू पिटीशन/एस.एल..पी./रिव्यु एस.एल.पी. आदि भी अनिवार्य रूप से दायर की जावे। इस संबंध में यदि शासकीय अधिवक्ता द्वारा निर्णय के पालन का अभिमत दिया जाता है, तब भी प्रकरणों को शासकीय अधिवक्ता के विपरीत अभिमत सहित ही आगे के न्यायालयों में चुनौती देने के लिये आवश्यक प्रस्ताव, नियत समय पर, अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप यह सुनिश्चित करे कि सम्पूर्ण अवधि अथवा रिट याचिका दायर होने के दिनांक से 3 वर्ष के पूर्व की अवधि की एरियर राशि वाला कोई भी न्यायालयीन निर्णय किसी भी स्थिति में अथवा किसी भी कारण से इस कार्यालय के संज्ञान में लाये बिना पेंडिंग ना रहे। कृपया नोट करें कि यदि किसी मामले में इस तरह की एरियर राशि के भुगतान की स्थिति बनती है तो माननीय न्यायालय के बाध्यकारी आदेश को समय पर चुनौती नहीं देने हेतु उत्तरदायी शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावेगी।

यहाँ तक कि जिन प्रकरणों में अवमानना न्यायालय में विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होने के कारण सम्पूर्ण अवधि का अथवा रिट याचिका दायर होने के दिनांक से 3 वर्ष के पूर्व की अवधि की एरियर राशि का भुगतान कर भी दिया गया है, उन्हें भी रिव्यू पिटीशन/रिट अपील लगाकर संशोधित करवाने का प्रयास अनिवार्य रूप से किया जाना है ताकि वे भविष्य में उत्पन्न होने वाले प्रकरणों में उदाहरण बन सकें।

आपको पुनः अवगत कराया जाता है कि किसी भी स्थिति में भविष्य में इस प्रकृति के प्रकरणों में संपूर्ण एरियर राशि की स्वीकृति इस कार्यालय द्वारा प्रदान नही की जावेगी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रमुख अभियंता

पृ0क्रमांक 10778 /प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 22/11/2024

प्रतिलिपी :–

अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जलभवन बाणगंगा भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर अवगत कराया जाता है कि दैनिक वेतन भोगी एरियर राशि के न्यायालयीन प्रकरणों में स्वीकृति के समय इन निर्देशों को ध्यान में रखें तथा इनके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

21.11.24

प्रमुख अभियंता